Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **डूंगरपुर में पशु पालन विभाग के उप निदेशक पशुधन विकास, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पशुधन सहायक 1 लाख 60 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *22 फरवरी, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज डूंगरपुर में कार्यवाही करते हुये डॉ. उपेन्द्र सिंह, उप निदेशक, पशुधन विकास जिला डूंगरपुर अतिरिक्त चार्ज संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जिला डूंगरपुर व डॉ. जावेद खान, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पीपलाद जिला डूंगरपुर एवं अनिल भगोरा, पशुधन सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग जिला डूंगरपुर को परिवादी से 1 लाख 60 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा विभागीय आदेश के अन्तर्गत पशुपालन विभाग जिला डूंगरपुर को 59 गोट यूनिट (पांच बकरी व एक बकरा) सप्लाई का आदेश प्राप्त हुआ था जिसमें से 20 गोट यूनिट की सप्लाई की जा चुकी थी जिसके भुगतान की एवज में डॉ. उपेन्द्र सिंह, उप निदेशक व डॉ. जावेद खान, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति गोट यूनिट 8000/– रूपये के हिसाब से 1 लाख 60 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **एसीबी उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में एसीबी उदयपुर इकाई के अति. पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **श्री हेरम्भ जोशी उप पुलिस अधीक्षक मय टीम** आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये डॉ. उपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह, निवासी गांव पोस्ट जाट बहरोड़ तहसील मूण्डावर जिला अलवर हाल डी–15, छत्रसाल नगर नन्दपुरी नियर मालवीय नगर जयपुर हाल उप निदेशक, पशुधन विकास जिला डूंगरपुर अतिरिक्त चार्ज संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जिला डूंगरपुर व डॉ. जावेद खान पुत्र श्री इस्माईल खान निवासी मु. पो. बागणी, तहसील वालवा जिला सांगली महाराष्ट हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पीपलादा जिला डूंगरपुर एवं अनिल भगोरा पुत्र स्व. श्री लालशंकर निवासी गांव व तहसील बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर हाल पशुधन सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग जिला डूंगरपुर को परिवादी से **1 लाख 60 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।